न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 21/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.रूपाराम पुत्र स्व बगताराम वगैरा		01 चैनाराम पुत्र स्व लूम्बाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापत उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनोपसिह सोलकी उपस्थित ।

निर्णय दिनांकः– 6/11/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दईपडा खीचियान के खसरा नम्बर 12 रकबा 63 बीधा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 28 रकबा 14 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 125 रकबा 17 बीधा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 351 रकबा 38 बीधा 02 बिस्वा भूमि ग्राम दईपडा खीचियान पटवार क्षेत्र धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर मे आई हुई है। उपरोक्त भूमि पर बगताराम जी लूम्बाराम एव पीराराम का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित था प्रार्थीगण के पिता स्वा बगताराम जी पेशे से काश्तकार थे तथा कृषि कार्य करते थे जब कि अप्रार्थीगण के पिता स्वा लूम्बाराम नौकरी करते थे तथा अक्सर अन्य राज्यो मे विभिन्न स्थानो पर कार्यरत रहते थे इस कारण से सदैव ही लूम्बाराम के हिस्से की भूमि पर बगताराम ही काश्त करते थे सन 1968 मे प्रतिवादी के पिता लूम्बाराम जी गुजरात के कच्छ भुज मे कार्यरत थे तत्समय अप्रार्थीगण के पिता लूम्बाराम जी ने विवादग्रस्त कृषि भूमि मे से अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि प्रार्थीगण के पिता बगताराम एव प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ब्रियपत्र दिनाक 19.03.1968 को बेचान कर दी एव बेचान की गई कृषि भूमि का वास्ताविक कानूनी एव भौतिक स्प से कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया जो बेचाननामा सब रजिस्टर जोधपुर के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 277 पृष्ट संख्या 109 से 122 कम संख्या 829 पर दिनाक 12.06.1968 को पजीबद्व है अर्थात अप्रार्थीगण के पिता लूम्बाराम ने विवादग्रस्त कृषि भूमि मे से अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण को बेचान कर दिया तथा अपने खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण एव उनके पिता बगताराम जी को बेचान कर दिए तथा बगताराम विवादग्रस्त कृषि भूमि मे 2/3 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज हुए प्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया है एवम्र निरन्तर रूप से भूमि पर काबिज है एव काश्त कर रहा है अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज रह जाने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से अप्रार्थीगण भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने एव खूद बूर्द करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आमादा है जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है क्योकि अप्रार्थी के पिता लूम्बाराम द्वारा भूमि के अधिकार प्रार्थीगण के विकय कर दिये थे ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 12 रकबा 63 बीधा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 28 रकबा 14 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 125 रकबा 17 बीधा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 351 रकबा 38 बीधा 02 बिस्वा भूमि के वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी प्रकार से नही किया जावे एव राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम दईपडा खीचियान के खसरा नम्बर 12 रकबा 63 बीधा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 28 रकबा 14 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 125 रकबा 17 बीधा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 351 रकबा 38 बीधा 02 बिस्वा भूमि ग्राम दईपडा खीचियान पटवार क्षेत्र धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर मे आई हुई है। जिसे भूमि पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे। तथा मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव मे प्रस्तुत तथ्यो का खण्डन करते हुए निवेदन किया गया कि बगताराम लुम्बाराम व पीराराम की सयूक्त खातेदारी की हेसियत से अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त थे भूमि का बटवाडा नही हुआ तथा अविभाजित है। प्रार्थीगण 1/3 हिस्से के हि खातेंदार है तथा 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण बदस्तूर काबिज है जहॉ तक बेचान हस्तान्तरण का प्रश्न है तो अप्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार बेचान हस्तान्तरण का कानूनन अधिकार प्राप्त है जिसे रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। कब्जा तो पहले से ही अप्रार्थीगण के पास है इसलिये कब्जा करने वाला कथन स्वतःही निर्थरक सिद्व हो जाता है कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण का तो कभी कब्जा ही नही रहा इसलिये बेदखल वाली तो स्थिति ही नही आती है इस प्रकार कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण को कोई प्राईमा फेसीसी मामला नही है प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी गण के पक्ष मे है इस प्रकार प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकार नही है इस कारण कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम दईपडा खीचियान के खसरा नम्बर 12 रकबा 63 बीधा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 28 रकबा 14 बीधा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 125 रकबा 17 बीधा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 351 रकबा 38 बीधा 02 बिस्वा भूमि मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 6/11/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी